भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2613

(दिनांक 19.12.2023 को उत्तर देने के लिए)

डिजिटल विज्ञापन नीति

2613. श्री मनीश तिवारी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार की डिजिटल विज्ञापन नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापनों की प्रभावशीलता, पहुंच और प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के मंत्रालयों/विभागों के पास उन प्लेटफार्मों के संबंध में कोई विवेकाधिकार है जिन पर विज्ञापन दिए जाएंगे या क्या केन्द्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) का इन विकल्पों पर नियंत्रण होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संबंधित मंत्रालयों/विभागों के पास उन प्रदर्शनों/कार्यक्रमों के संबंध में कोई विवेकाधिकार है जिनका वे ओवर-द-टॉप (ओटीटी) /ऑडियो/वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देना चाहते/नहीं देना चाहते हैं और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सीबीसी और ओटीटी/ऑडियो/वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के बीच किसी संभावित विवाद को किस प्रकार हल किया जाएगा; और

(छ) क्या मंत्रालय आसान विवाद समाधान तंत्र को सुकर बनाने के लिए कोई नियम बनाने पर विचार कर रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (छ): सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) भारत सरकार के ग्राहक मंत्रालयों/विभागों द्वारा इंगित संदेश की प्रकृति, लक्षित दर्शक बजट की उपलब्धता आदि के अनुसार भारत सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए जागरूकता अभियान चलाता है।

ऐसे अभियानों की पहुंच बढ़ाने और डिजिटल विज्ञापन प्लेटफॉर्म की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए, सरकार ने एक डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 को अनुमोदित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों यथा ओटीटी प्लेटफॉर्म, पॉडकास्ट, इंटरनेट वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशनों आदि को पैनलबद्ध आदि करने का प्रावधान है ताकि इन प्लेटफार्मों पर जागरूकता/प्रचार अभियान जारी किए जा सकें।

यह नीति सीबीसी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच किसी भी संभावित विवाद के समाधान के लिए तंत्र का भी प्रावधान करती है। यह नीति सीबीसी की वेबसाइट अर्थात www.davp.nic.in पर उपलब्ध है।

*****